3

औद्योगिक संबंध

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)

मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के संगठन की गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट

3.1 मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र भी कहा जाता है, मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है । मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अध्यक्ष हैं । इन्हें केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मुख्यालय में 25 तथा फील्ड में 253 अधिकारी हैं । इन अधिकारियों के कार्यालय, देश के भिन्न-भिन्न भागों में आंचलिक, क्षेत्रीय एवं एकक स्तर पर हैं ।

संगठन के कार्य

3.2 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र में मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

के. औद्यो.सं. तंत्र के कार्य

- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना ।
- केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए श्रम कानूनों और नियमों को लागू करना ।
- पंचाट लागू करना ।
- अर्द्धन्यायिक कार्य
- ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना ।
- कल्याण
- अन्य विविध कार्य

औद्योगिक विवादों का निवारण एवं निपटान

3.3 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापनाओं में निम्नलिखित के माध्यम से सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता है :-

- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों को मॉनीटर करना ।
- विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और सुलह कराना ।
- हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप ।

- समझौते व पंचाट लागू करना ।
- (1) कार्य समिति (2) देयों की वसूली (3) कामबंदी (4) छंटनी (5) अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्य प्रावधानों को लागू करना ।

3.4 वर्ष 2003-2004 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने 422 हड़ताल की धमकियों में हस्तक्षेप किया और उसके सलाहकारी प्रयासों से 380 हड़तालें रोकी जा सकीं जिसकी सफलता दर 90प्रतिशत आंकी जा रही है । तंत्र द्वारा वर्ष 2003-2004 के दौरान निपटाए गए औद्योगिक विवादों का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के पास आए विवादों की संख्या	**विवादों की संख्या जो केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप हेतु उपयुक्त नहीं पाए**	**अनौपचारिक सुलह कार्रवाई के बिना निपटाए गए विवादों की संख्या**	**उन विवादों की संख्या जिनके लिए औपचारिक सुलह कार्रवाई शुरू की गई**	**सुलह कार्रवाई द्वारा निपटाए गए विवादों की संख्या**	**उन विवादों की संख्या जिनमें सुलह कार्रवाई असफल रही**	**वर्ष के अंत में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के पास लंबित विवादों की संख्या**
4765	--	531	1615	234	850	3150

टिप्पणी: सभी आंकड़े अनंतिम हैं ।

श्रम कानूनों का प्रवर्तन

3.5 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का दूसरा मुख्य कार्य उन स्थापनाओं में श्रम कानूनों को लागू करना है जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है । यह तंत्र इसके अंतर्गत बनाए गए निम्नलिखित श्रम कानूनों और नियमों को लागू करता है -

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा इसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायु यातायात सेवाओं एवं बंदरगाह, घाट और जेटी के लिए बनाए गए नियम ।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा नियम ।
3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा नियम ।
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम ।
5. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 और तत्संबंधी नियम ।
6. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम ।
7. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं तत्संबंधी नियम ।
8. श्रम विधि (विवरणी प्रस्तुति और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988

9. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 तथा नियम ।

10. भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय 6-क, रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार विनियमन के घंटे ।

11. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 एवं नियम ।

12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (खदान एवं सर्कस नियम, 1963) एवं नियम ।

13. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 ।

3.6 केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख स्थापनाएं हैं । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी कैश-निरीक्षण कार्यक्रमों और कार्यदल निरीक्षणों के अंतर्गत इन स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं ताकि श्रमिकों को लाभप्रद कानूनों का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके । असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे बाल श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है । निरंतर चूक करने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमें दायर किए जाते हैं । वर्ष 2003-2004 के विवरण निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हैं :-

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों इत्यादि की संख्या से संबंधित विवरणी (अनंतिम)

निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या		दायर अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्ध की संख्या
	पाई गई	दूर की गई		
9342	92643	91244	10229	1941

टिप्पणीः सभी आंकड़े अनंतिम हैं ।

पंचाट (अवार्ड) लागू करना

3.7 केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण द्वारा स्थापित पंचाट केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं । वर्ष 2003-2004(दिसम्बर-2003 तक अनंतिम) के दौरान 2176 पंचाट (अग्रानित सहित) प्राप्त किए गए । इसमें 174 को लागू कर दिया गया, 542 पंचाटों पर कार्रवाई चल रही है, 751 पंचाटों को लागू करने पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी तथा 465 पंचाट अन्य कारणों से लंबित पड़े हैं । पंचाट को लागू करने में इसलिए कठिनाई आती है कि नियोजक इन्हें लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश ले आते हैं । यही नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत नियोजक मंत्रालयों द्वारा नियोजकों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक स्वीकृति भी कभी-कभार ही प्राप्त होती है ।

अर्द्धन्यायिक कार्य

3.8 सहायक श्रम आयुक्त (के.) से मुख्य श्रम आयुक्त (के.) स्तर के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी निम्नलिखित अर्धन्यायिक कार्य भी करते हैं :-

मुख्य श्रम आयुक्त (के)	-	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन विनियमन व सेवा की शर्ते) अधिनियम के अधीन महानिदेशक (निरीक्षण) औद्योगिकी रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण
संयुक्त मुख्य श्र.आ. (के)	-	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण
उप मुख्य.श्र.आ.(के)	-	औद्योगिक रोजगार(स्थाई आदेश) अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियमों के नियम 25(2)(फ)(क) तथा (ख) के अधीन प्राधिकरण ।
क्षे.श्र.आ.(के)	-	न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण । ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण । औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम के अधीन सत्यापन अधिकारी, एच.ओ.ई.आर. के अधीन रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षण
सहा.श्र.आ.(के)	-	उपदान संदाय अधिनियम के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी; समान पारिश्रमिक अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेसिंग अधिकारी ।

3.9 अधिनियमों/नियमों के अधीन इन अधिकारियों द्वारा निर्णीत मामलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

अर्धन्यायिक कार्य की प्रकृति	**पिछले वर्ष के मामले/आवेदन/ अग्रानीत दावे**	**वर्ष के दौरान प्राप्त मामले आवेदन/दावे**	**कुल**	**निपटाए गए मामले/आवेदन/ दावे**	**पंचाट राशि**
उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत उपदान आवेदन **(2001-02)**	3428	4465	7893	3537	98948382
उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत क्षे.आ. द्वारा की गई उपदान अपील **(2001-02)**	369	490	859	636	--

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत क्षे.श्र.आ. (के) द्वारा किए दावों का आवेदन **(2002-03)**	5927	2839	8766	3060	32114808
क्षे.श्र.आ. (के) स्थाई आदेशों में सत्यापन/ संशोधन के लिए आवेदन **(2001-02)**	66	38	104	43	--
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत मामले **(2003-04)(अनं)**	1100	117	1217	31	24000

(अनं = सभी आंकड़े अनंतिम, हैं)

ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन

अनुशासनात्मक संहिता के अंतर्गत मान्यता के लिए ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन :- (क) रिकार्डों की जांच व सैम्पलिंग द्वारा (ख) गुप्त मतदान द्वारा ।

3.10 वर्ष 2003-2004 (अनं) (अक्तूबर-2003 तक) के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों ने 9 स्थापनाओं में अनुशासनात्मक संहिता के अंतर्गत सत्यापन का कार्य किया । इसमें से 7 स्थापनाओं में सत्यापन का कार्य गुप्त मतदान द्वारा किया गया ।

श्रम-निदेशक हेतु नियुक्ति का सत्यापन (क) भारतीय स्टेट बैंक और संबद्ध शाखा (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 1974 (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 तथा 1980

3.11 श्रम निदेशकों की नियुक्ति के उद्देश्य से 5 बैंकों में सांविधिक सत्यापन का कार्य पूरा किया गया ।

सैम्पलिंग और रिकार्ड की जांच के द्वारा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का सामान्य सत्यापन ।

3.12 देश में श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से जुड़ी हुई यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन भी इस संगठन का एक मुख्य कार्य है । सामान्य सत्यापन के परिणाम के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहित राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर त्रिपक्षीय निकाय, विकास परिषद, समिति, बोर्ड आदि में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

3.13 श्रम मंत्रालय ने केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों से संबद्ध श्रमिक संघों की सदस्यता के सत्यापन हेतु 31.12.97 को मान्य तिथि के रूप में लेने का निर्णय लिया है । लेकिन मान्य तिथि से संबंधित मामला काफी समय से न्यायाधीन है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31.12.2002 को मान्य तिथि के रूप में निर्णय देते हुए हाल ही में मामले का निपटान कर दिया है । तदनुसार 31.1.2004 तक केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से दावे/आवेदन मंगवाने के लिए मंत्रालय ने 1.11.03 को अधिसूचना जारी कर दी है ।

विविध कार्य

3.14. केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन करता है :-

1. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकें आयोजित करना और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के अनुसार प्रत्येक छमाही में परिवर्ती महंगाई भत्ता अधिसूचित करना ।

2. विभिन्न उच्च न्यायालयों में मंत्रालय के विरूद्ध दायर रिट याचिकाओं में श्रम मंत्रालय का बचाव करना ।

3. मंत्रालय के निदेशानुसार शिकायतों की छानबीन करना ।

4. विभिन्न नियोजनों में ठेके के श्रमिकों को रोकने की जांच करने के लिए विभिन्न उप समितियों के संयोजक के रूप में केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड की सहायता करना।

5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना ।

6. मु.श्र.आ. (के) संगठन द्वारा लागू विधानों पर संसद के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय को सूचना उपलब्ध करवाना ।

7. अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों और अन्य श्रम मामलों में संघर्ष की स्थिति में श्रम मंत्रालय को सलाह देना ।

8. मंत्रालय की सलाह पर संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण शिष्ट मण्डलों में भाग लेना ।

9. मंत्रालय के निदेशानुसार सूचना एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।

10. के.श्र. सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में श्रम मंत्रालय की सहायता करना ।

कल्याण

3.15. मुख्य सलाहकार(श्रम कल्याण) सहायक श्रम कल्याण आयुक्तों (ए एल डब्ल्यू सी) और श्रम कल्याण आयुक्तों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं । ए एल डब्ल्यू और डी एल डब्ल्यू रक्षा और अन्य स्थापनाओं जैसे

के.लो.नि.वि. सुरक्षा प्रेस, मिन्ट, आर्डिनेंस फैक्टरियों, टेलकाम फैक्टरियों और अस्पताल आदि में तैनात है जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं । श्रम आयुक्त इन स्थापनाओं के मुख्यालय में तैनात हैं । ये अधिकारी मिलकर अपनी संबंधित स्थापनाओं में सौहार्दपूर्ण, औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करते हैं । वे कर्मकारों का कल्याण तथा शिकायतों का निवारण, कल्याण योजनाओं के प्रशासन का कार्य भी देखते हैं और शॉप कांउसिल, वर्क्स कमेटी आदि द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ-साथ विभिन्न श्रम मामलों के प्रबंधन पर सलाह देते हैं ।

वर्ष-2003-2004 के दौरान मुख्य औद्योगिक संबंधों की घटनाएं जिसमें सी आई आर एम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.)

3.16. मुंबई से दक्षिण की ओर 42 समुद्री मील दूर हैलीकापटर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग श्रमिकों तथा दल के सदस्यों सहित 29 यात्री सवार थे जिसके कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कई श्रमिकों ने श्री राम नायक, पेट्रोलियम मंत्री का 11.8.2003 को जूड हेलीपैड पर घेराव किया और 13.8.2003 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी ।

3.17. तीन ट्रेड यूनियनों तथा एक अधिकारी एसोसिएशन यथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संगठन, पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन, अखिल भारतीय अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारियों ने दुर्घटना की तत्काल जांच, मुख्य प्रबंध निदेशक का निलंबन, मृत कर्मचारियों के रिश्तेदारों को 25 लाख रुपये का नकद भुगतान, मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को नौकरी आदि की मांग की ।

3.18. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मुबई ने 12.8.2003 तथा 13.8.2003 को समझौता कार्रवाई की । माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने गैस तथा प्राकृतिक गैस आयोग के श्रमिकों को इस आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से रोका कि समझौता कार्रवाई क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मुंबई के पास लंबित है । तथापि, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ कर्मचारियों ने औजार बंदी हड़ताल करने को कहा । क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने 19.8.2003 और 28.8.2003 को पुनः समझौता कार्रवाई की । 28.8.2003 को प्रशासन के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारियों सहित चारों यूनियनों ने वचन दिया कि उन्होंने आन्दोलन कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है ताकि सभी समुद्री और तटीय कार्यालयों में सामान्य सुचारू कार्य हो सके ।

3.19. समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के हस्तक्षेप करने से संगठन ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बचाया और इससे मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले 33 लाख रुपये प्रतिदिन तथा उत्पादन के रूप में 70 करोड़ रुपये प्रतिदिन की हानि से राष्ट्र को बचाया है ।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)

3.20. टेलिकॉम कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन, बी.एस.एन.एल., बी.एस.एन.एल. कर्मचारी यूनियन, टेलीकॉम कर्मचारी प्रोग्रेसिव यूनियन तथा बी.एस.एन.एल. मजदूर संघ ने बी.एस.एन.एल. के प्रबंधन को दूर संचार विभाग की उत्पादकता संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) योजना के तहत बोनस का भुगतान या बोनस बी.एस.एन.एल. द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए अपने कर्मचारियों को दिया गया है उसके भुगतान के लिए 23.9.2003 सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया ।

3.21. हड़ताल के प्रभाव-विस्तार को देखते हुए इस में लगभग 3.5 लाख श्रमिकों के शामिल होने की संभावना थी । मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने हस्तक्षेप किया और 16.9.2003 तथा 19.9.2003 को समझौता कार्रवाई की । लम्बी चर्चा तथा श्री एस.के. मुखोपाध्याय, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा संपर्क करने के पश्चात् बी.एस.एन.एल. के प्रबंधन ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर निर्णय होने तक, तदर्थ बोनस के रूप में पिछले वर्ष दिए गए बोनस का 75 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए सहमति दे दी ।

3.22. इस प्रकार बी.एस.एन.एल. के 3.5 लाख श्रमिकों की हड़ताल तथा प्रतिदिन कई करोड़ों की हानि को रोका जा सका ।

<u>महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)</u>

3.23. एन.टी.एन.एल. प्रबंधन से सूचना प्राप्त हुई कि 25.10.2003 को दीवाली के त्योहार से पूर्व बोनस के भुगतान के संबंध में मुंबई तथा दिल्ली की मान्यता प्राप्त यूनियनों से औद्योगिक कार्रवाई के लिए एक-एक नोटिस प्राप्त हुए, क्योंकि दिल्ली और मुबई में संचार सेवाओं में बाधा पड़ने से सभी वाणिज्यिक गतिविधियों तथा समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा हस्तक्षेप किया गया और 22.10.2003 को समझौता हो गया ।

3.24. निदेशक(वित्त) एम.टी.एन.एल. तथा दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) के साथ रात को 10.30बजे तक लम्बी विस्तार से चर्चा तथा टेलिफोन वार्ता के पश्चात् एम.टी.एन.एल. प्रबंधन 54 करोड़ रुपये वितरण योग्य लाभ का 7 प्रतिशत भुगतान करने का आग्रह किया गया और यूनियनें अपना आंदोलन बंद करने और औद्योगिक कार्रवाई न करने के लिए राज़ी हो गईं ।

3.25. समझौते से लगभग 57 हजार श्रमिकों को लाभ हुआ और सैंकड़ो करोड़ रुपये की हानि को रोका जा सका ।

वायु परिवहन सेक्टर

3.26. एयर इण्डिया कर्मचारी गिल्ड ने 140 सुरक्षा गार्डों के अवैभागीकरण के विरोध में 17.11.2003 से हड़ताल पर जाने के लिए एयर इण्डिया प्रबंधन को दिनांक 14.11.2003 को नोटिस दिया ।

3.27. इस कार्यालय के हस्तक्षेप के लिए एयर इण्डिया प्रबंधन के अनुरोध पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली को कहा गया कि वे हस्तक्षेप करें और मामले में कार्रवाई करें । हालांकि रविवार था, फिर भी मामले की संवेदनशीलता तथा सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली ने पार्टियों को नोटिस जारी किए और 16.11.2003 को ही समझौता हो गया ।

3.28. यूनियन का ध्यान औद्योगिक तथा विवाद अधिनियम की धारा 22 की ओर तथा साथ ही उनके द्वारा दिए गए हड़ताली नोटिस की ओर दिलाया गया । उन्हें अनुरोध किया गया कि औद्योगिक शांति व सद्भावना को दृष्टिगत करते हुए कोई सीधी कार्रवाई न करें । क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली की अपील को यूनियन ने स्वीकार कर लिया और इस कार्यालय द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से, 17.11.2003 से प्रस्तावित हड़ताल रोकी जा सकी ।

तेल क्षेत्र

3.29 जैसे ही इस कार्यालय की नज़र में आया कि सार्वजनिक क्षेत्र तेल और गेस कम्पनियों जैसे आई.ओ.सी.लि., बी.पी.सी.एल, एच.पी.सी.एल, आई.बी.पी, ऑयल इण्डिया लि. और ओ.एन.जी.सी.इन कार्यालयों के निजीकरण और प्रस्तावित विनिवेश के विरूद्ध 16.12.2003 से हड़ताल पर जा रही है तो मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) ने मामले में हस्तक्षेप किया और इन कम्पनियों के प्रबंधन और यूनियनों से अनुरोध किया कि 12.12.2003 को नई दिल्ली में समझौता कार्यवाही में उपस्थित हो ।

3.30 12.12.2003 को यूनियनों तथा प्रबन्धन के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कोई औद्योगिक विवाद नहीं है और 16.12.2003 को होने वाली प्रस्तावित हड़ताल भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र तेल और गैस कम्पनियों के निजीकरण की नीति के विरूद्ध है । तथापि प्रबन्धन ने यूनियनों से अपील की कि हड़ताल पर न जाएँ क्योंकि यह जनहित के विरूद्ध होगा और इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा । मुख्य श्र.आ.(के) ने भी यूनियनों से अनुरोध किया कि हड़ताल पर न जाएँ क्योंकि इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा । उन्होंने प्रबन्धन के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि यह सुनिश्चित करें कि विनिवेश मंत्री की उपस्थिति में पेट्रोलियम मंत्री तथा ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक आयोजित की जाए ताकि दोनों पक्षों को मान्य समाधान हो पाए । समझौता कार्यवाही को 15.12.2003 तक स्थगित कर दिया गया ताकि दोनों पक्ष आपस में आगे चर्चा कर सकें ।

3.31 15.12.2003 को यूनियनों के प्रतिनिधि अपनी मांगों पर अड़े रहे और कहा कि 16.12.2003 को एक दिन की संकेतिक हड़ताल के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है पेट्रोलियम मंत्री चूंकि बाहर गए हुए थे, इसलिए ट्रेड यूनियन नेताओं और उनके बीच कोई बैठक आयोजित नहीं हो पायी ।

3.32 जब श्रम मंत्री के चेम्बर के यूनियनों और प्रबन्धन के बीच 15.12.2003 को बैठक आयोजित हुई तो उन्होंने यूनियनों से अनुरोध किया कि हड़ताल पर न जाएँ । उन्हें दिए गए आश्वासन के संदर्भ में उन्होंने विनिवेश मंत्री को पत्र लिखा जिसमें भविष्य में सभी विनिवेशों के संबंध में श्रम मंत्रालय से परामर्श करने का अनुरोध किया गया ।

3.33 यह सूचित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र तेल और गैस कम्पनियों में कार्यरत 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने 16.12.2003 को एक दिन की संकेतिक हड़ताल में भाग लिया ।

24 फरवरी, 2004 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल

3.34 हड़ताल का विभिन्न राज्यों में और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभाव रहा । बैंको में 90 प्रतिशत बीमा क्षेत्र में 70 प्रतिशत और असम में तेल क्षेत्र में 85 प्रतिशत हड़ताल हुई । हड़ताल का रक्षा, कोयला, स्टील, उद्योग, एयरलाइंस, रेलवे तथा भारतीय खाद्य निगम पर नाममात्र से साधारण सा प्रभाव रहा ।

3.35 पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में लगभग सभी उद्योगों में 90 प्रतिशत हड़ताल रही ।

बंदरगाह तथा गोदी

3.36 कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को चलाने वाली यूनियनों में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट स्टॉफ एसोसिएशन, कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन कोचीन, पोर्ट वार्फ स्टाफ संगठन, कोचीन पोर्ट तोज़ीलाली यूनियन, कोचीन पोर्ट एवं गोदी कर्मचारी यूनियनों ने अध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को हड़ताल का नोटिस दिया कि वे 11.2.2004 से हड़ताल पर जायेंगे । यूनियन की मांगे निम्नलिखित थीं :-

(1) कोचीन में ट्रांशिपमेन्ट हब केन्द्र का विकास तथा राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल के विकास के निर्णय को प्राथमिकता आधार पर लागू करना ।

(2) राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल के लिए उपस्कर खरीदने के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय को स्थगित करने के हाल ही के सरकार के निदेशों के विरोध में ।

3.37 मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) के निदेशों पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) कोचीन ने मामले में हस्तक्षेप किया और 04.02.2004, 09.02.2004 तथा 10.02.2004 को समझौता कार्यवाही की गई । 10.02.2004 को हुई समझौता कार्रवाई में यूनियनों ने 11.02.2004 से की जाने वाली प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने के लिए सहमत हो गयी ।

प्रवर्तन तंत्र की कठिनाइयां

3.38 हालांकि औद्योगिक क्रियाक्लाप, व्यापार एवं व्यवसाय तथा साथ ही परिनियम पुस्तक में कानूनों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन प्रवर्तन तंत्र ने उस गति से कार्य नहीं किया । संख्या बल की दृष्टि से भी तंत्र अपर्याप्त है । केन्द्रीय क्षेत्र में ही 1.5 लाख स्थापनाएं हैं जिनके लिए केवल 125-130 श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं जो निश्चित अवधि में प्रवर्तन कार्य हेतु उपलब्ध रहते हैं ।

3.39 अधिकतर परिनियमों (कुछ को छोड़कर) के अन्तर्गत उल्लघंनों के लिए निर्धारित धन जो कि मुख्यतः जुर्माने के रूप में होता है बहुत कम है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया जुर्माना सामान्यतः निर्धारित जुर्माने से कम होता है इससे अवरोधी प्रभाव नहीं पड़ पाता और यह केवल दोषी नियोजकों को कानून के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए रोक नहीं पाता है क्योंकि इनका अनुपालन करने से अच्छा समझते हैं दण्ड के रूप में थोड़ा सा जुर्माना दे देना ।

न्यायनिर्णयन

3.40 17 केन्द्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है जो उन औद्योगिक विवादों पर कार्रवाई करते हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है । वर्ष के दौरान गुवाहाटी, अहमदाबाद, एरणाकुलम(कोचीन), दिल्ली और चण्डीगढ़ में पांच और केन्द सरकार के औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों को स्थापित किया गया है । इस प्रकार केन्द्र सरकार के औद्योगिक अधिकरणों की संख्या 22 हो गई है । इस के अतिरिक्त जहां पर केन्द्र सरकार का औद्योगिक न्यायधिकरण एवं-श्रम न्यायालय नहीं हैं वहां औद्योगिक विवादों के निर्णयन के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा स्थापित औद्यागिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों का भी उपयोग करती है।

3.41 लम्बित पड़े मामलों की संख्या कम करने के लिए केन्द्र सरकार के औद्योगिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया । कुल 14 लोक अदालतें आयोजित की गयीं और 559 मामले निर्णीत किए गए ।

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

3.42 प्रबंधन में श्रमिकों की प्रतिभागिता का मूल आधार केवल उत्पादकता और औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा देना ही नहीं है अपितु मुख्य रूप से श्रमिकों में सहभागिता की भावना उत्पन्न करना अधिक महत्वपूर्ण है । श्रम मंत्रालय श्रमिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को मॉनीटर/लागू

करने के लिए कार्य योजना लागू कर रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए समाज में सहभागिता का विकास और यह उजागर करना है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से श्रमिक कार्यक्षेत्र और उद्योगों में मैत्रीपूर्ण संबंधों में सुधार लाने के लिए किस प्रकार सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं ।

3.43. वर्ष 2003-2004 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 33 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया- दो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर और 31 पाठ्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर । कामगारों और प्रबन्धन के कुल 1033 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन प्रस्ताव

3.44 निरंतर आर्थिक सुधारों तथा विशेष तौर पर औद्योगिक और ट्रेड नीतियों में उदारीकरण को देखते हुए औद्योगिक संबंध कानून में संशोधन की मांग है ताकि अधिक औद्योगिक समन्वय, उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाई जाए । बेहतर प्रगति के लिए वातावरण तैयार किया जाए तथा घरेलू तथा विदेशी निवेश बढ़ाया जाए । औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

बागान श्रम अधिनियम - 1951

3.45. बागान उद्योग पर औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 3.4.2002 को आयोजित बैठक में, बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन हेतु प्रस्तावों पर चर्चा की गई । बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बागान क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गौर के लिए राज्य सरकार असम, पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अन्तःमंत्रालय समिति का गठन किया गया । अन्तः मंत्रालय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है ।

औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) केन्द्रीय(संशोधन) नियम,2003

3.46 सरकार ने औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 की अनुसूची में "निर्धारित अवधि नियोजन कर्मकार" को शामिल करने के लिए तथा औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश)केन्द्रीय नियम 1946 में मॉडल स्थाई आदेशों को जोड़ने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जी.सी.आर.संख्या 936(ई)दिनांक 10.12.2003 प्रकाशित करके औद्योगिक नियोजन(स्थाई आदेश) केन्द्रीय नियम 1946 में संशोधन किए हैं ।

3.47 निर्धारित अवधि नियोजन कर्मकार को निर्धारित अवधि के लिए संविदा आधार पर नियोजित किया जाएगा । तथापि उसके कार्य घंटे मजदूरी भत्ते तथा अन्य लाभ स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे । वह की गई सेवा के अनुपात में स्थायी कर्मकार को उपलब्ध सभी संविधिक हितलाभों का भी हकदार होगा । चाहे परिनियम में उल्लिखित अर्हक नियोजन अवधि को वह पूरा न भी करता हो । प्रस्तावित संशोधनों से कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सुधार होगा साथ ही नियत अवधि आधारित नियोजित कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा देना भी सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

3.48 सन् 1981 में गठित श्रम संबंध मॉनीटरिंग यूनिट, हड़तालों/तालाबंदी की संख्या इसके विवरण तथा इसमें संलग्न श्रमिकों की संख्या और कार्य हानि दिवसों की संख्या, छंटनी को दर्शाने वाली इकाइयों की संख्या और ताला-बंदी की सीमा के आधार पर औद्योगिक सामंजस्य को मॉनीटर करती है ।

3.49. यद्यपि हड़तालों और तालाबंदी की संख्या में 2003 में 15.5% की कमी आयी है, फिर भी इनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या में 2002 की तुलना में 46.2% की वृद्धि हुई है ।

3.50. हड़ताल एवं तालाबंदी की संख्या का स्थानिक/उद्योगवार विवरण तथा इसमें लगे हुए/इससे प्रभावित श्रमिकों की संख्या समान नहीं है । राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित हुए । उद्योग समूहों में टेक्सटाईल, इंजीनियरी, रसायन तथा कोयला खदानों में सबसे अधिक हड़तालें तथा तालाबंदी हुई ।

3.51. औद्योगिक अस्थिरता से श्रमिकों के प्रभावित होने के कारण कार्य दिवसों की भी हानि हुई है । 2003 में हड़ताल और तालाबंदी के कारण कार्य दिवसों की हानि की संख्या में कुल 18.1% की कमी आई है वर्ष-2003 के दौरान हड़ताल और तालाबंदी से कार्य-दिवसों की हानि की संख्या क्रमशः 2 मिलियन तथा 20 मिलियन थी ।

3.52 हड़तालों और तालाबंदी की संख्या से पता चलता है कि अधिकांश औद्योगिक अशांति का मूल कारण अनुशासनहीनता, तोड़-फोड़, वैयक्तिक मामले और मजदूरी तथा वेतन का भुगतान न किया जाना है ।

बंद होना

3.53 वर्ष 2002 के बीच बन्द होने से प्रभावित होने वाली इकाइयों की संख्या 98 से घटकर वर्ष 2003 में 67 हो गई है । इस अवधि में इससे प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या भी 10025 से घटकर वर्ष 2002 में 6978 हो गई है ।

काम-बन्दी

3.54 श्रमिकों एवं कच्चे माल की कमी के कारण अथवा स्टॉक की अधिकता अथवा ऐसे श्रमिक जिसका नाम नियोक्ता के औद्योगिक स्थापना के हाजिरी रजिस्टर में है और जिसकी छंटनी नहीं हुई है, उनको रोजगार देने में तंत्र की असमर्थता से नियोक्ता के असफल होने, इन्कार करने अथवा अक्षमता को बन्द होने के अन्तर्गत, परिभाषित किया जा सकता है । यह आम तौर पर औद्योगिक इकाई के समक्ष सप्लाई में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है जिससे खपत में कमी आती है ।

छंटनी

3.55 छंटनी से प्रभावित इकाईयों की संख्या वर्ष 2002 की तुलना में 98 से घटकर 2003 में 67 हो गई है और इस अवधि के दौरान छंटनी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या 3875 से घटकर 2593 हो गई । वर्ष 2002 के दौरान राज्य क्षेत्रों में छंटनी से प्रभावित 93% इकाईयां थीं ।

औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां

3.56 त्रिपक्षीय भावना को बढ़ावा देने के लिए अनेक त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया गया है । इन त्रिपक्षीय निकायों का उद्देश्य सूती कपड़ा उद्योग, विद्युत उत्पादन व वितरण, पटसन उद्योग, सड़क यातायात तथा इंजीनियरी उद्योग के कर्मकारों पर उद्योग से संबंधित विशेष समस्याओं को सुलझाना है । 'सड़क

परिवहन', 'पटसन उद्योग' तथा सूती कपड़ा उद्योग पर त्रिपक्षीय उद्योग समिति की बैठक क्रमशः10 अप्रैल, 25 अगस्त तथा 15 दिसम्बर, 2003 को हुईं ।

3.57. समय पर प्रभावी ढंग से औद्योगिक विवादों का समाधान करने की सरकार की अनुकूल सक्रिय भूमिका और सामाजिक सहभागियों के त्रिपक्षीय फोरमों में भागीदारी ने नियोक्ताओं और श्रमिकों के हितों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है जिससे उनका दृष्टिकोण मुकाबला करना न होकर सहयोग का हो गया है ।

विवाचन बोर्ड (संयुक्त सलाहकार तंत्र)

3.58. भारत सरकार ने, नियोक्ता के रूप में अपने कर्मचारियों की महासमिति के मध्य मतभेदों को सुलझाने हेतु संयुक्त सलाहकार मशीनरी एवं अनिवार्य विवाचन के लिए सन् 1966 में एक योजना रखी ।

3.59. यह योजना वेतन और भत्तों के संबंध में, सरकार के कार्य दिवसों के संबंध में और किसी वर्ग अथवा स्तर के कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में अनिवार्य विवाचन उपलब्ध करवाती है ।

3.60. इस योजना के अन्तर्गत जुलाई, 1968 में एक विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.) का गठन किया गया । बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य रखे गये । अध्यक्ष की नियुक्ति पूरे समय के लिए स्थायी रूप से तथा सदस्यों की नियुक्ति श्रम मंत्रालय द्वारा बोर्ड को विवादित मामले सौंपते समय अपने स्टाफ तथा पदाधिकारियों के पैनल से की जाती है ।

3.61. दिनांक 31 मार्च, 2004 तक 252 मामले विवाचन बोर्ड को भेजे गए जिसमें से 248 मामलों का बोर्ड ने निपटारा किया ।

1993-2003 के दौरान औद्यागिक विवादों के कारण हुई हड़तालों और तालाबंदी में शामिल कर्मकारों की संख्या और नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या

हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या

वर्ष	**केन्द्रीय क्षेत्र**	**राज्य क्षेत्र**	**सार्व. क्षेत्र**	**निजी क्षेत्र**	**हड़ताल**	**तालाबंदी**	**कुल**
1993	272	1121	359	1034	914	479	1393
1994	249	952	316	885	808	393	1201
1995	285	781	343	723	732	334	1066
1996	316	850	381	785	763	403	1166
1997	384	921	448	857	793	512	1305
1998	231	866	283	814	665	432	1097
1999	129	798	165	762	540	387	927
2000	109	662	125	646	426	345	771
2001	115	559	139	534	372	302	674
2002	66	513	63	516	295	284	579
2003 (अनं)	100	389	103	386	244	245	489

हड़तालों और तालाबंदी में शामिल कर्मकारों की संख्या(हजारों में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1993	513	441	565	389	672	282	954
1994	490	356	523	323	626	220	846
1995	700	289	725	264	683	307	990
1996	478	461	606	333	609	331	939
1997	624	358	618	363	637	344	981
1998	955	334	901	388	801	488	1289
1999	549	761	553	758	1099	212	1311
2000	1139	279	1147	271	1044	374	1418
2001	379	308	428	260	489	199	688
2002	360	720	347	733	900	179	1079
2003 (अनं)	1127	450	1113	464	808	769	1577

हड़तालों और तालाबंदियों से नष्ट हुए श्रम दिवस(मिलियन में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1993	1.20	19.10	2.29	18.01	5.61	14.69	20.30
1994	0.59	20.40	1.32	19.67	6.65	14.33	20.98
1995	3.86	12.43	4.79	11.50	5.72	10.57	16.29
1996	1.20	19.09	3.15	17.13	7.82	12.47	20.28
1997	1.41	15.56	2.18	14.79	6.30	10.68	16.97
1998	7.25	14.81	7.58	14.49	9.35	12.71	22.06
1999	0.87	25.91	1.18	25.61	10.62	16.16	26.79
2000	10.04	18.72	10.68	18.08	11.96	16.80	28.76
2001	1.19	22.57	2.02	21.74	5.56	18.20	23.77
2002	0.83	25.75	0.80	25.78	9.66	16.92	26.58
2003 (अनं)	6.73	15.05	6.74	15.04	2.00	20.00	21.78

(अनं) = अनंतिम

आंकड़ों को पूर्णांकित किए जाने के कारण योग में मामूली अन्तर हो सकता है ।